राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा–13 / चोरी / गबन / रा.स्त.ऑ. / 2024 / दिनांक :

1. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः–बकाया चोरी / गबन प्रकरणों में की गई वसूली के सम्बन्ध में।

संदर्भः–निदेशक (जन स्वास्थ्य) के परिपत्र क्रमांक 6910 दिनांक 31.01.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित परिपत्र के द्वारा निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नियन्त्रणाधीन चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों मे त्वरित गति से बकाया वसूलियां किये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये किए गये थे। जो निम्नानुसार हैः–

(i) आपके अधीन चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित दोषी कार्मिकों से जिन प्रकरणों में एक मुश्त वसूली किया जाना संभव नही हो एवं वसूली पर न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो ऐसे प्रकरणों मे दोषी कार्मिक / अधिकारियों से नियमानुसार प्रतिमाह वेतन के एक तिहाई की सीमा तक कटौती कर तत्काल प्रभाव से वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।

(ii) चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में वसूली हेतु जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य कार्यालयों में होने की स्थिति में स्थानान्तरित अधिकारी / कर्मचारी के पदस्थापित कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी से पत्राचार कर वसूली योग्य बकाया राशि की कटौती किए जाने हेतु निर्देशित करें।

(iii) जिन चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों की विभागीय जांच लम्बित है, उन प्रकरणों की विभागीय जांच पूर्ण करवाकर विभागीय जांच के निर्णयानुसार तत्काल प्रभाव से वसूली / अपलेखन की कार्यवाही पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों के क्रम में आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों से की गई बकाया वसूलियों की प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Sd/-
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :लेखा–13 / चोरी / गबन / रा.स्त.ऑ. / 2024 / 176 दिनांक : 26/4/24

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

D:\Ganesh ji\Letter-3.doc